

निःशुल्क विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा- सिविल सेवा (प्रा0)/राज्य सिविल सेवा (प्रा0) परीक्षा/NEET/JEE/ NDA एवं SSC (एक दिवसीय परीक्षा) में छात्र/छात्राओं के चयन हेतु आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत निःशुल्क कोचिंग हेतु आफलाइन पंजीकरण दिनांक 12.06.2024 से 22.06.2024 तक किया जाना था, जिसकी आवेदन करने की अन्तिम तिथि 26.06.2024 तक बढ़ायी जाती है। आवेदन पत्र डी0एस0एन0 महाविद्यालय के कक्ष सं0- 10 एवं 11 एवं समाज कल्याण कक्ष सं0-24 से प्राप्त किये जा सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी हेतु योजना के कोर्स कोऑर्डिनेटर से डी0एस0एन0 महाविद्यालय में तथा उनके दूरभाष सं0 9670076369 पर सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदक एक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की समस्त प्रक्रिया एवं कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत आवेदन हेतु पात्रता निम्नवत् है-

1. NEET/JEE हेतु कक्षा-11 एवं 12 में अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग के छात्र/छात्रा पात्र होंगे।
2. UPSC/UPPSC की परीक्षा के प्रशिक्षण हेतु स्नातक अन्तिम वर्ष अथवा स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्रा पात्र होंगे।
3. NDA हेतु कक्षा-11 एवं 12 में अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग के छात्र/छात्रा पात्र होंगे।
4. SSC की परीक्षा के प्रशिक्षण हेतु कक्षा 12 उत्तीर्ण छात्र/छात्रा पात्र होंगे।

आवदेन करने हेतु लिंक-

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciYBvtwAsvscpVQz2NJWgKpL4UZSzpFxAD5MSPrtfP8W/Fhw/viewform>

QR Code



जिला समाज कल्याण अधिकारी
उन्नाव

पत्रांक- C-304/स0क0/अभ्युदय/2024-25 दिनांक- 22 जून 2024
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
4. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
5. उपनिदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीन संचालित समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को छात्र/छात्राओं के नामांकन कराने हेतु अवगत कराना सुनिश्चित करें।
7. प्राचार्य, डी0एस0एन0 महाविद्यालय, उन्नाव।
8. जिला सूचना अधिकारी, उन्नाव को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना निःशुल्क दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
उन्नाव